

23

09  
21

पी.ओ. साहव अघकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण  
पर होने से दिनांक 11/11/21 को पेश हो

Ran

12.11.21

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान - 20th क्षेत्र  
कोर्ट पीपलू मे पेश हुई। उक्तपत्र आचिनस्ता न  
पक्षकामन उपस्थित। उक्तपत्र की संमति के आधार  
पर मूल बाह अन्तिम डिडी निमा जा चुका है। अतः  
प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।  
अतः पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल है  
एवं नियमानुसार नम्बर से कम है।

शिविर प्रभासी  
उपखण्ड अधिकारी  
पीपलू (टोक)